कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), उत्तराखण्ड, देहरादून

महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून - 248195

सं. : AMG-II/शहरी विकास/प्रतिवेदन संख्या- 03/2020-21/

दिनांक :   /10/2020

सेवा में,

अधिशासी अधिकारी,
नगर पालिका परिषद, हरबर्टपुर,
जनपद- देहरादून।

विषय : नगर पालिका परिषद - हरबर्टपुर, देहरादून के वर्ष 2019-20 का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

महोदय,

आपके कार्यालय का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्रेषित कर यह अवगत कराना है कि प्रतिवेदन के भाग- 2(अ) मे **शून्य** प्रस्तर, भाग- 2(ब) में **02** प्रस्तर एंव STAN में **शून्य** प्रस्तर (पृष्ठ संख्या 01 से 08 तक) हैं, इन प्रस्तरों को भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक, नई दिल्ली की वार्षिक तकनीकी निरीक्षण प्रतिवेदन (Annual Technical Inspection Report) (ATIR) में सम्मिलित किया जाना सम्भावित है। भाग- 2(अ) के सभी प्रस्तरों की प्रतिपालन आख्या सचिव, शहरी विकास उत्तराखण्ड शासन, देहरादून एवं भाग- 2(ब) के सभी प्रस्तरों की प्रतिपालन आख्या अपने उच्चतर अधिकारी के माध्यम से भेजा जाना अनिवार्य है।

अतः अनुरोध है कि उपरोक्तानुसार प्रतिवेदन की प्रथम प्रतिपालन आख्या इनकी प्राप्ति के एक माह के अन्दर संलग्न प्रारूप में प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

संलग्नक : 1 प्रतिवेदन की प्रति
2. प्रतिपालन आख्या का प्रारूप

भवदीय

वरि. लेखापरीक्षा अधिकारी/शहरी विकास क्लस्टर

सं. : AMG-II/शहरी विकास/प्रतिवेदन संख्या- 03/2020-21/   **दिनांक: /10/2020**

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

1- निदेशक, शहरी विकास निदेशालय उत्तराखण्ड, 31/62 निकट राजपुर रोड़ साईं इंस्टीट्यूट के पासदेहरादून ,
2- निदेशालय, लेखापरीक्षा (आडिट), (द्वितीय तल, आयुक्त कर भवन, जोगीवाला, मसूरी बाईपास, रिंग रोड, देहरादून, पिन कोडः 248005

वरि. लेखापरीक्षा अधिकारी/शहरी विकास क्लस्टर

निरीक्षण आख्या **अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, हरबर्टपुर, जनपद- देहरादून** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार की गयी है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण सूचना के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार(लेखापरीक्षा), उत्तराखण्ड, देहारादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

भाग-I

1. **परिचयात्मकः** इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री पी0सी0 श्रीवास्तव, व0ले0प0अ0 के पर्यवेक्षण श्री केदार सिंह,स0ले0प0अ0, एवं श्री सुशील कुमार, व0ले0प0, द्वारा दिनांक 16.09.2019 से 21.09.2019 तक संपादित की गयी थी जिसमें अवधि 04/ 2017 से 03/2019 तक के लेखा-अभिलेखों की जांच की गयी थी।
2. **(i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्र**:-

(i) भौगोलिक क्षेत्र:- **380.226 है0**

(ii) जनसंख्या: - **10567**

(iii) निर्वाचित सदस्यों की संख्या: - **09**

(iv) इकाई द्वारा आयोजित बैठकों की संख्या: **07**

(v) उपसमितियों, स्थायी समितियों की संख्या तथा प्रत्येक आयोजित बैठकों की संख्या: **शून्य**

(vi) कर्मचारियों की संख्या: - **19**

(vii) इकाई की संपत्तियाँ: - **दुकाने,सामुदायिक भवन, कार्यालय भवन**

(viii) इकाई के अपने प्रोजेक्ट: **कोई नहीं**

(ix) योजनाओं की संख्या: **आय-व्यय विवरण के अनुसार**

(x) (अ) सामाजिक संरक्षा:

(ब) रोजगार सृजन से संबन्धित:

(स) वर्ष के दौरान पूर्ण की गई योजनायें:

(द) लाभार्थियों की संख्या:

(xi) वर्ष के दौरान कर, रेट्स ड्यूटी चुंगी आदि की वसूली तथा बकाया राशि: **आय-व्यय विवरण के अनुसार**

(xii) वर्ष के दौरान कुल व्यय

(अ) सामान्य :

(ब) योजनाओं पर (प्रत्येक योजना का अलग-अलग दर्शाया जाय) एवं संलग्नक के रूप में लगाया जाये| : **आय-व्यय विवरण के अनुसार**

(xiii) क्या वार्षिक योजनाओं एवं बजट पर निर्वाचित निकाय द्वारा चर्चा की गयी तथा उसे पारित किया गया: **हाँ**

भाग-I. 2(ii)(अ)- कार्यालय नगर पालिका परिषद, हरबर्टपुर, जनपद- देहरादून										
विगत तीन वर्षो (2017-18 से 2019-20)के दौरान बजट आवंटन एवं व्यय का विवरण(धनराशि रु में)										
वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर- स्थापना		अवशेष			
	स्थापना	गैर- स्थापना	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय	स्थापना		गैर- स्थापना	
							आधिक्य	बचत	आधिक्य	बचत
2017-18	4061834	4832607	34374985	28881345	11712000	6227096	0.00	9555474	0	10317511
2018-19	9555474	10317511	40706991	18061391	498176000	10476882	0.00	32201074	0	13016629
2019-20	32201074	13016629	41123931	46131479.63	11411031	14284741	0	27193525.37	0	10142919

भाग-I. 2(ii)(ब -(कार्यालय अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, हरबर्टपुर, जिला- देहरादून का वर्ष 2017-18 का आय-व्यय विवरण						
क्र.सं.	मद का नाम	पूर्व वर्ष का अवशेष	वर्ष के दौरान प्राप्तियाँ	कुल प्राप्तियाँ	वर्ष के दौरान व्यय	अंतिम अवशेष
1	केंद्रीय वित्त आयोग	4484401	5686000	10170401	6177000	3993401
2	राज्य वित्त आयोग	2849965	28773000	31622965	23708491	7914474
3	अवस्थापना विकास निधि	263558	4896000	5159558	0	5159558
4	विधायक निधि	44652	0	44652	0	44652
5	स्वच्छ भारत मिशन	39996	130000	169996	50096	119900
6	निकाय निधि	1211869	5601985	6813854	5172854	1641000
7	निर्मल पुरस्कार योजना	0	1000000	1000000	0	1000000
		8894441	**46086985**	**54981426**	**35108441**	**19872985**

कार्यालय अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, हरबर्टपुर, जिला- देहरादून का वर्ष 2018-19 का आय-व्यय विवरण						
क्र.सं.	मद का नाम	पूर्व वर्ष का अवशेष	वर्ष के दौरान प्राप्तियाँ	कुल प्राप्तियाँ	वर्ष के दौरान व्यय	अंतिम अवशेष
1	केंद्रीय वित्त आयोग	3993401	3900000	7893401	1221401	6672000
2	राज्य वित्त आयोग	7914474	35402000	43316474	13722400	29594074
3	अवस्थापना विकास निधि	5159558	0	5159558	1952004	3207554
4	विधायक निधि	44652	0	44652	0	44652
5	स्वच्छ भारत मिशन	119900	50000	169000	83477	86423
6	निकाय निधि	1641000	5304991	6945991	4338991	2607000
7	निर्मल पुरस्कार योजना	1000000	0	1000000	0	1000000
8	केंद्रीय वित्त (परफॉर्मेंस ग्रांट)	0	0	1951000	0	1951000
9	प्रधानमंत्री आवास योजना	0	7275000	7275000	7220000	55000
		19872985	**51931991**	**73755076**	**28538273**	**45217703**

कार्यालय अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, हरबर्टपुर, जिला - देहरादून का वर्ष 2019-20 का आय-व्यय विवरण						
क्र.सं.	**मद का नाम**	**पूर्व वर्ष का अवशेष**	**वर्ष के दौरान प्राप्तियाँ**	**कुल प्राप्तियाँ**	**वर्ष के दौरान व्यय**	**अंतिम अवशेष**
1	**केंद्रीय वित्त आयोग**	6672000	6911000	13583000	6672000	6911000
2	**राज्य वित्त आयोग**	29594074	35354000	64948074	40477509	24470565
3	**अवस्थापना विकास निधि**	3207554	0	3207554	3029585	177969
4	**विधायक निधि**	44652	0	44652	0	44652
5	**स्वच्छ भारत मिशन**	86423	820031	906454	0186676	719778
6	**निकाय निधि**	2607000	5769931	8376931	5653970.63	2722960.37
7	**निर्मल पुरस्कार योजना**	1000000	0	1000000	862500	137500
8	**केंद्रीय वित्त (परफॉर्मेंस ग्रांट)**	1951000	0	1951000	852580	1098420
9	**प्रधानमंत्री आवास योजना**	55000	3500000	3555000	2600000	955000
10	**डे0एम0एल0यू0एन0**	0	180000	180000	81400	98600
	कुल योग	**45217703**	**52534962**	**97752665**	**60416220.63**	**37336444.37**

लेखाओं पर टिप्पणी:-

(i) वर्ष के अंत में बड़ी धनराशि बची हुई है अर्थात योजनाओं का कृयान्वन सही ढंग से नहीं हो रहा है |

(ii) लेखाओं का रख-रखाव भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा निर्धारित प्रारूप में नहीं किया जा रहा है |

भाग-I. 2(ii)(स)- कार्यालय अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद - हरबर्टपुर , जनपद - देहरादून का केंद्र पुरोनिधानित योजनाओं के अंतर्गत प्राप्त निधि एव व्यय का विवरण						
वर्ष	**योजना का नाम**	**पूर्व वर्ष का अवशेष**	**वर्ष के दौरान प्राप्तियाँ**	**कुल प्राप्तियाँ**	**वर्ष के दौरान व्यय**	**अन्तिम अवशेष**
2017-18	**14वां वित्त**	4484401	5686000	10170401	6177000	3993401
2018-19	**14वां वित्त**	3993401	3900000	7893401	1221401	6672000
2019-20	**14वां वित्त**	6672000	6911000	13583000	6672000	6911000
2018-19	**केंद्रीय वित्त (परफॉर्मेंस ग्रांट)**	0	1951000	1951000	0	1951000
2019-20	**केंद्रीय वित्त (परफॉर्मेंस ग्रांट)**	1951000	0	1951000	852580	1098420
2018-19	**प्रधानमंत्री आवास योजना**	0	7275000	7275000	7220000	55000
2019-20	**प्रधानमंत्री आवास योजना**	55000	3500000	3555000	2600000	955000
2017-18	**स्वच्छ भारत मिशन**	39996	130000	169996	50096	119900
2018-19	**स्वच्छ भारत मिशन**	119900	50000	169000	83477	86423
2019-20	**स्वच्छ भारत मिशन**	86423	820031	906454	0186676	719778

भाग II(ब)

प्रस्तर 01: पालिका क्षेत्रांतर्गत स्थापित मोबाइल टावरों से Administrative Fee तथा One-time Permission Fee की वसूली न किए जाने के कारण राजस्व की हानि।

उत्तराखण्ड शासन, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा अपने पत्रांक संख्या 476/XXXIV/2018-17/सू.प्रौ./2018 दिनांक 26.11.2018 के माध्यम से Uttarakhand Right of Way, 2018 को प्रख्यापित किया गया है। Uttarakhand Right of Way, 2018 के प्रस्तर 7 के अनुसार नगर निगम को अपने क्षेत्रान्तार्गत Optical Fibre Cable बिछाने तथा मोबाईल टावर स्थापित करने हेतु किए गये आवेदन पर आवेदनकर्ता को लाईसेंस प्रदान करने का अधिकार प्राप्त है।

Uttarakhand Right of Way, 2018 के प्रस्तर 11.3 के अनुसार, " Every application under guidelines 11.1 shall be accompanied with a one-time non-refundable fee of INR 1,000 to meet administrative expenses for examination of the application and the proposed work. In case of Government land, annual lease rent for the space allocated for installation of Mobile tower shall be 10% of the market value of the land on 'per square meter basis'. Market value of the land will be fixed by District Collector, which shall be revised in every 5(five) years. Provided that the Lease rental per month for Mobile Tower shall not exceed Rs. 10,000 per month.

Further, an amount of Rs. 5000/- (Rupees Five thousand only) per tower shall be collected from licensees/infrastructure providers as 'one time' permission fee besides lease rent. In the event of sharing the towers by other licensees/infrastructure Providers, each one of the shall pay Rs. 5000/- (Rupees Five thousand only) as permission fees additionally. The fee so collected shall be remitted to the appropriate Account Head by the Head of office."

कार्यालय नगर पालिका परिषद , हरबर्टपुर जनपद-देहरादून के लेखा-अभिलेखों की नमूना जाँच में पाया गया कि इकाई द्वारा पालिका के परिक्षेत्र में Optical Fibre Cable बिछाने तथा संचालित हो रहे मोबाईल टावरों से Administrative Fee तथा One-time Permission Fee के अधिरोपण एवं वसूली हेतु कोई उपविधि तैयार नहीं की गई थी और ना ही पालिका परिक्षेत्र में मोबाईल टावरों के सम्बंध कोई सर्वेक्षण कराया गया था। निकाय द्वारा क्षेत्रान्तर्गत संचालित हो रहे मोबाइल टावरों से Administrative Fee तथा One-time Permission Fee की वसूली नहीं की जा रही थी।

इकाई द्वारा उपलब्ध करायी गई सूचना के अनुसार पालिका के क्षेत्रान्तर्गत 07 मोबाइल टावर संचालित हो रहे थे। आगे जाँच में पाया गया कि इन मोबाईल टावरों से धनराशि ` 42,000/- (Administrative Fee ` 7000/-(` 1000 प्रति मोबाइल टावर तथा One Time Permission Fee ` 35,000/-(` 5000 प्रति मोबाइल टावर), की वसूली नहीं की गई थी।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर, तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि करते हुए इकाई ने अपने उत्तर में बताया कि उपविधि बनाकर क्षेत्रान्तर्गत संचालित हो रहे मोबाइल टावरों से वसूली सुनिश्चित की जाएगी।

इकाई द्वारा दिया गया उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि निकाय द्वारा पालिका परिक्षेत्र में संचालित मोबाइल टावरों से Administrative Fee तथा One-time Permission Fee के अधिरोपण एवं वसूली के सम्बंध कोई उपविधि तैयार नहीं की गई है । अर्थात इकाई द्वारा अपनी आय बढ़ाने हेतु कोई प्रयास नहीं किए थे।

अतः पालिका क्षेत्रान्तर्गत स्थापित मोबाइल टावरों से किसी भी प्रकार की फीस न लिए जाने का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग 2 (ब)

प्रस्तर 2: नगर पालिका परिषद पर विद्धुत देयकों की धनराशि ` 87.87 लाख की देयता का लंबित रहना।

चतुर्थ राज्य वित्त आयोग, उत्तराखंड की संस्तुतियों पर सरकार द्वार लिए गए निर्णय के क्रम में समस्त स्थानीय निकायों को संक्रमित की जा रही धनराशि की शर्तों के अनुसार शहरी स्थानीय निकायों को संक्रमित की जा रही धनराशि का उपयोग सर्वप्रथम निकायों के स्वीकृत पदों के सापेक्ष कार्यरत समस्त प्रकार के कर्मचारियों के वेतन, भत्ते आदि, पथ-प्रकाश एवं जल संस्थान के देयकों एवं सेवा निवृत्त कर्मचारियों के दावों के भुगतान पर किया जाएगा।

कार्यालय नगर पालिका परिषद हरबर्टपुर के विद्धुत देयकों से संबन्धित पत्रावलियों की जांच में पाया गया कि कार्यालय अधिशासी अभियंता विद्धुत वितरण खंड विकासनगर द्वारा पत्रांक 340/वि. वि. ख.वि. दिनांकित 03 फरवरी 2020 के माध्यम से नगर पालिका परिषद हरबर्टपुर के अंतर्गत स्थापित स्ट्रीट लाइट के 01 जनवरी 2020 तक के विद्धुत बीजकों को भुगतान हेतु प्रेषित किया गया था। उक्त बीजकों के अवलोकन में पाया गया कि नगर पालिका परिषद पर 01/2020 तक विद्धुत संयोजनों की पूर्व लंबित देयकों एवं अधिभार सहित कुल धनराशि ` 87.87 लाख की देनदारी लेखापरीक्षा तिथि(08/2020) तक लंबित थी |

उपरोक्त के संबंध में लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर इकाई द्वारा तथ्यों एवं आंकड़ों को स्वीकारते हुये अपने उत्तर में बताया गया कि विद्धुत बिलों के भुगतान की कार्यवाही कर लेखापरीक्षा को अवगत करा दिया जायेगा तथा भविष्य में समय से भुगतान किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

इकाई का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि इकाई द्वारा अपने वित्तीय स्रोतों का प्रबंधन एवं विभाग पर नगर पालिका के देयकों का समय पर गणना कर विद्धुत देयकों का समायोजन कर लेना चाहिए था ताकि विध्युत देयकों का समय पर भुगतान किया जा सके एवं विलंब शुल्क/अधिभार का भुगतान न करना पड़े।

अतः इकाई पर विध्युत देयकों के रूप में धनराशि `87.87 लाख की देयता लंबित रहने का प्रकरण उच्च अधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-III

(क) परिचयात्मक:कार्यालय **अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, हरबर्टपुर, जनपद-देहरादून** के लेखा/अभिलेखों की वित्तीय वर्ष **2019-20** की संप्रेक्षा श्री केदार सिंह, स0. ले.प.अ., तथा श्री अरविंद कुमार शर्मा, स.ले.प.अ. द्वारा दिनांक 19.09.2020 से 30.09.2020 तक श्री सुनील कल्ला, व0ले0प0अ0 के पर्यवेक्षण में संपादित की गयी |

(ख) विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण:-

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-2 (अ)	भाग-2(ब)	स्टैन
स्था0नि0/प्रति0सं0-68/ 2019-20	शून्य	प्रस्तर सं0- 1,2,3,4,	शून्य

(ग) विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्या:-

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
स्था0नि0/प्रति0सं0-68/ 2019-20	इकाई द्वारा विगत लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की अनुपालन आख्या प्रस्तुत न किये जाने के कारण विगत प्रस्तरों का लेखापरीक्षा प्रेक्षण नहीं किया जा सका		इकाई द्वारा विगत लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की अनुपालन आख्या प्रस्तुत नहीं की गई		इकाई द्वारा विगत लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की अनुपालन आख्या प्रस्तुत न किये जाने के कारण विगत लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के समस्त प्रस्तरों को यथावत रखे जाने के संस्तुति की जाती है		

भाग – IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

----सामान्य-----

भाग – V
आभार

1. कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना सम्बन्धी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनाएं उपलब्ध कराने हेतु **अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, हरबर्टपुर, जनपद-देहरादून** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है | तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये:

2. सतत अनियमितताएँ**: शून्य**

3. लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया:-

क्र.सं.	**नाम**	**पदनाम**	**अवधि**
01	एलम दास	अधिशासी अधिकारी	16.05.2017 से 15.09.2019
02	श्री सुरेन्द्र कुमार	अधिशासी अधिकारी	21.07.2017 से वर्तमान तक
	अध्यक्ष/प्रशासक		
01	श्री डी0एस0 बिष्ट	अध्यक्ष	02.12.2018 से वर्तमान तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएँ जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, हरबर्टपुर, जनपद-देहरादून** को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि इसकी अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे **उपमहालेखाकार/स्थानीय निकाय, कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), उत्तराखण्ड, महालेखाकार भवन, देहरादून-248195** को प्रेषित कर दी जाये |

वरि. लेखापरीक्षा अधिकारी/शहरी विकास क्लस्टर